

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227187
SG-DL-E-25052021-227187

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]	दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 29
No. 144]	DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYSAISHTHA 4, 1943	[N. C. T. D. No. 29

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मई, 2021

सं.फा. 20/23/2000/गृह पु0-II/1261-1275.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957(1957 का 66) की धारा 469 तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 375 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के संयुक्त-पंजीयक (गजट) के दिनांक 25 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं0 02/डीएचसी/गजट-II/ विशेष एमएम-2019/2021 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 18 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसरण में विशेष महानगर दण्डाधिकारी की समस्त शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अपराधों की सुनवाई हेतु उन्हें विशेष महानगर दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करते हैं। यह शक्तियां उस अवधि तक जारी रहेंगी, जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें विशेष महानगर दण्डाधिकारी की शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात् :-

1. श्री बी.बी. भटनागर
2. श्री जय प्रकाश गुप्ता
3. श्री हरीश कुमार सहगल
4. श्री धर्मपाल गुप्ता
5. श्री राजेन्द्र कुमार तनवर
6. सुश्री अनीता हुड्डा
7. श्री अंबरीश शर्मा
8. श्री शैलेन्द्र शर्मा
9. श्री व्यास मुनि राय
10. श्री आर. एस. रावत
11. सुश्री कहनई चरण बेहरा
12. श्री विजय कुमार गोयल
13. श्री बृज मोहन सिंह राणा

नगर दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त उक्त अधिकारी, अन्य विशेष महानगर दण्डाधिकारियों की तरह सप्ताह में छः दिन कार्य करेंगे और महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश रहेगा और दिल्ली लघु अपराध (विशेष महानगर दण्डाधिकारी द्वारा विचारण), नियमावली 1998 में निहित प्रावधानों के अनुसार अवकाश के पात्र होंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शक्ति बांगर, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th May, 2021

F.No.20/23/2000/HP-II/ 1261-1275.—In exercise of the powers conferred by section 469 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and section 375 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994, (44 of 1994), the Lt Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to confer upon the following persons, who have been conferred with all power of Special Metropolitan Magistrate in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 18 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), vide Notification No.02/DHC/GAZ.-II/SPL.MM-2019/2021 dated, 25th January 2021 of Joint Registrar (Gazette), High Court of Delhi, the powers of Municipal Magistrate for the trial of offences under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and New Delhi Municipal Council Act, 1994, within the National Capital Territory of Delhi for such period till the powers of Special Metropolitan Magistrate conferred upon them by the High Court of Delhi, exist, namely:-

1. Mr. B.B. Bhatnagar,
2. Ms. Jai Parkash Gupta,
3. Mr. Harish Kumar Sehgal,
4. Mr. Dharam Pal Gupta,
5. Mr. Rajender Kumar Tanwar,

6. Mr. Anita Hooda,
7. Mr. Ambrish Sharma,
8. Mr. Shailendra Sharma,
9. Mr. Vyas Muni Rai
10. Mr. R.S. Rawat,
11. Ms. Kahnei Charan Behera,
12. Mr. Vijay Kumar Goel,
13. Mr. Brij Mohan Singh Rana,

The above said officers, appointed as Municipal Magistrates, like other Special Metropolitan Magistrates, would work for six days a week with Second Saturday off and would be entitled to leave as per the provisions contained in Delhi Petty Offences (Trial by Special Metropolitan Magistrate) Rules, 1998.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SHAKTI BANGAR, Dy. Secy. (Home-II)